

86/2018 धरम / सुनिता

दिनांक	आज्ञा पत्र	क्यादी
12/10/23	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट को सिवायत दो जाता है कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर अंतर्गत 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जायें। पत्रावली वारंते तलबी दिनांक 22.10.23 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में कोई स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p> <p>१० अक्टूबर २०२४</p>	
27/10/23	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्ट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 27.10.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 27.10.23 को पेश हो।</p>	
26/12/23	<p>पत्रावली प्रस्तुत आज्ञाधिक सच न आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 26/12/23 को पेश हो</p>	
26-3-24	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्ट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 26.3.24 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 26.3.24 को पेश हो।</p>	<p>साधारण नोटिस जारी 8708-32 22-05-24</p>
10.6.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय तंत्रकाल 6 बजे तक बार बार दिसाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे परसत्यरूप अपील अपीलान्ट अबन हजरती एवं अबन हजरती न खरिज की जाती है। निर्णय को इजलास मुद्रांक रखा। इजलास ईसल मुमन होकर नजर से कम होकर बाद तत्काल तत्काल दखिल दफतर हो।</p>	<p>पु.प्रव.अधिकारी एवं पटन राजस अपील अधिकारी सीकर (कि. ५.१५.२४)</p>